तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज एफएसएस 27/13 राजेश टिंकर बनाम मंगाराम सैन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
4.4.2018	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण दिनांक 19.6.2013 से लम्बित है। प्रकरण में प्रारम्भ से ही अप्रार्थी के सही पते के अभाव में तलबी नहीं हो सकी है। कई बार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर को लिखे जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी के सही पते की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी द्वारा ऐसी स्थिति में अपने दायित्व का निर्भहन करते हुये तत्समय वांछित सही पते की रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करनी चाहिऐ थी। काफी लम्बा अर्सा गुजर जाने के उपरान्त भी प्रार्थी/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस हेतु बतौर अन्तिम हिदायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर को पत्रांक 957 दिनांक 8.11.2017 एवं 357 दिनांक 20.3.2018 भी जारी किया गया है बाबजूद इसके सही पते की रिपोर्ट प्रस्तुत न किया जाना उनकी ओर से प्रकरण को आगे न चलाये जाने की दिलचस्पी को जाहिर करता है। जबकि प्रचलित नियमों के अंतर्गत वाद को सिद्ध करने /नियमानुसार न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति किये जाने का पूर्णरूपेण दायित्व प्रार्थी का ही रहता है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण विधिवत पैरवी /कार्यवाही के अभाव में प्रकरण सिविल प्रकिया संहिता के आर्डर 9 रूल्स 5 के प्रावधानो के अंतर्गत प्रकरण अदम पैरवी एवं अदम तक्मील में खारिज योग्य ही रहता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 4.4.2018 को सुनाया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर	